

व्यक्तिगत

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

श्री ० वकील श्री ० श्री ०

गणपति शर्मा को कार-का [कोश] में
दिलवाई गई, इसके पश्चात् भी श्री ०
वकील श्री ० श्री ० को भी हुक्म नहीं
दिया है। श्री ० वकील श्री ० सिद्ध शर्मा
हुक्म है। पत्रावली को अकलौड व
दिए गए। श्री ० वकील के पत्रों
में पापाय कबल श्री ० की पृष्ठ
की प्रतिको का पत्र दिए गए। इसके
पश्चात् भी श्री ० वकील द्वारा अभी
तक LRS की कार्यवाही नहीं की गई है।
अब पत्रावली अदालत तहसील, अदालत
केरवी एवं अदालत कोश में जोड़
की जाती है। पत्रावली केवल हुक्म
द्वारा ही तहसील कोश में रखी
जाए।

आदेश सुनाया गया

अक्षय

सदस्य

मुख्य मन्त्र सचिवान
राजेश

अक्षय

अध्यक्ष

राजेश मन्त्र सचिवान
राजेश